आज दिनांक–18.06.2019 को उपराह्न 03:00 बजे उपायुक्त, पाकुड़ की अध्यक्षता में सभाकक्ष में जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति की हुई बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार

बैठक की कार्यवाही

01. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पाकुड़ द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। जिसके पश्चात एक–एक करके उद्यमियों की समस्या को सुना गया तथा निराकरण हेतु उपायुक्त महोदय के द्वारा समुचित निदेश दिया गया।

02. सर्वश्री शिव सन्धु कॉल्ड स्टोरेज प्रा0लि0, महेशपुर के द्वारा बताया गया कि उन्हे प्रर्याप्त मात्रा में ईकाई के लिए बिजली नहीं मिलती है। इस संबध मे विद्युत कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि महेशपुर में एक नया ग्रिड का स्थापना किया जा रहा है। ग्रिड के निर्माण हेतु भूमि चिन्हितीकरण की कार्रवाई की जा रही है। नया विद्युत पॉवर स्टेशन बनने के उपरांत विद्युत की समास्या का समाधान हो जायेगा। ईकाई द्वारा बताया गया कि उन्हे कुल 46,00,000.00 रूपये केपिटल सब्सिडी के लिए मिला है तथा सुद अनुदान का मामला विभाग में विचाराधीन है। उपायुक्त महोदय द्वारा उद्योग निदेशक को पत्र के द्वारा अवगत कराने का निदेश दिया गया।

03. चन्दन बख्सी के द्वारा बताया गया कि महेशपुर में Fly Ash Bricks का ईकाई स्थापना करने में कठिनाई हो रही है क्योंकि संबंधित भूमि का म्युटेशन उनके नाम से अंचलाधिकारी, महेशपुर के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस पर अंचलाधिकारी, महेशपुर को समिति की बैठक के संदर्भ में निदेशित करने का निदेश दिया गया।

04. सर्वश्री दयाल फूड, पाकुड़ के द्वारा बताया गया कि कृषि भूमि को व्यवसायिक भूमि में परिवर्तन कराने का अनुरोध किया गया, जिससे ईकाई को जमीन मोर्गेज करके ईकाई हेतु बैंक से ऋण मिलने में सुविधा हो सके।

05. सर्वरी मास्टर ब्रिक्स के सत्त्वाधिकारी द्वारा बताया गया कि 40 दिनों से NTPC, Farakka से Fly Ash नहीं मिलने के कारण उत्पादन करने मे कठिनाई करने मे कठिनाई हो रही है। ईकाई हेतु बालू भी उपलब्ध नही हो पा रहा है। इस संबंध में जिला खनन पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा बताया गया कि 15 अक्टूबर तक बालू के उठाव में रोक लगाया गया है।

Scanned by CamScanner

06. सर्वश्री आर0आर0 स्टोन वर्क के लिए प्रदुषन विभाग से CTE नही मिला है, जिसका आवेदन सं0-4279725 है। इस संबंध में उपायुक्त महोदय द्वारा क्षेत्रिय प्रदुषन बोर्ड, दुमका के प्रबंधक को पत्र लिखने का निदेश दिया गया।

07. सर्वश्री माँ तारा Fly Ash के प्रतिनिधि द्वारा द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा 05 लाख Fly Ash Bricks का निर्माण किया जा चुका है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता को निदेशित करने का निदेश दिया गया।

08. जिला खनन पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा बताया गया कि Waste Stone Dust से Generated Stone Sand निर्माण करने वाली ईकाई की स्थापना करने निदेश दिया गया, ताकि बालू की कमी को पूरा किया जा सके।

09. महाप्रबंधक द्वारा बताया गया कि जिला में फुड प्रोसेसिंग ईकाई यथा-चावल मिल, दाल मिल, आटा मिल एवं तेल मिल आदि की स्थापना करने का सुझाव दिया गया, क्योंकि इस प्रकार की उद्योग में उद्योग विभाग के द्वारा 45% सरकारी अनुदान दिया जाता है।

अन्त सधन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

21.6.19
महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द्र, पाकुड़।

21/6/19
उ पा यु क्त,
पाकुड़।

ज्ञापांक :- 48 /जि0उ0के0, पाकुड़, दिनांक- 24/6/19
प्रतिलिपि :- सभी संबधित सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

21/6/19
उ पा यु क्त,
पाकुड़।

Scanned by CamScanner